चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 29.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 29.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गौरव तिवारी व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राम भवन उर्फ भुवन यादव पुत्र सुखराज यादव निवासी भुईहरी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 05 किलो 60 ग्राम नाजायज सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
बरामदगी-
05 किलो 60 ग्राम नाजायज सूखा गांजा
गिरफ्तार करने वाली टीम-
1.उ0नि0 श्री गौरव तिवारी कोतवाली कर्वी
2.आरक्षी चालक साकिर हुसैन
2.आरक्षी मंगल सिंह
(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी व उनकी टीम द्वारा हमला कर जान से मारने का प्रयास करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तों का नाम पता का विवरण-
1.भोला यादव पुत्र सधुवा निवासी ग्राम कर्का पड़रिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट।
2.पिन्टू यादव पुत्र रामशरण निवासी ग्राम कर्का पड़रिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट।
3.सुनीता पत्नी रामशरण निवासी ग्राम कर्का पड़रिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट।
गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक/समय-
गिरधार बाबा तिराहे,28.07.025,15.30 बजे
संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि दिनाँक 27.07.025 को वादिया कु0 अंशिका पुत्र स्व0 शिवशरन उर्फ कल्लू निवासिनी ग्राम कर्का थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बहिलपुरवा पर सूचना दी गयी कि दिनाँक 22.07.025 को वादिया की माँ मंजू खेत से घर आयी तभी त्रियुगी नारायण पुत्र जगमोहन निवासी ग्राम रुखमा खुर्द थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट गाली देते हुए आया और डण्डा वादिया के माँ के सर पर मार दिया जिससे वादिया की माँ बेहोश हो गयी। इस सूचना पर थाना बहिसपुरवा में मु0अ0सं047/25 धारा 70(1),311,109(2),351(3),352,191(2),191(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
दिनाँक 28.07.025 को प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गिरधार बाबा तिराहे थाना बहिलपुरवा से अभियुक्त1.भोला यादव पुत्र सधुवा निवासी ग्राम कर्का पड़रिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट 2.पिन्टू यादव पुत्र रामशरण निवासी ग्राम कर्का पड़रिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट व अभियुक्ता 3.सुनीता पत्नी रामशरण निवासी ग्राम कर्का पड़रिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी
2. उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह

3. आरक्षी मोनू राय,
4. महिला आरक्षी स्वाती सिंह

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थाना मऊ पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तों का नाम पता का विवरण-
सिया उर्फ शिवाकान्त पुत्र स्व0 रमई केवट निवासी ग्राम सुरौधा जनपद चित्रकूट
गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक/समय-
अशोक चौराहा ग्राम सुरौधा,29.07.025,10.20 बजे
संक्षिप्त विवरण-*
दिनाँक 21/06/2025 को वादी हसनैन S/O सफीक अली ग्राम नेवरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी कि दिनाँक 20.06.2025 समय करीब 8.30 बजे रात्रि वादी सटरिंग का काम ग्राम सुरौधा में कर रहा था उसी समय ग्राम सुरौधा निवासी सिया पुत्र स्व0 रमई केवट आया और भद्दी भद्दी गाली देते हुए सिर में लाठी मार दिया जिससे लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 198/25 धारा 109(1),115(2),110, 351(3),352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक मऊ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
आज दिनाँक 29.07.025 को उ0नि0 श्री अनूप कुमार शक्ला थाना मऊ व उनकी टीम द्वारा मुखिबर की सूचना पर अशोक चौराहा ग्राम सुरौधा से अभियुक्त निवासी सिया उर्फ शिवाकान्त पुत्र स्व0 रमई केवट निवासी ग्राम सुरौधा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-
1.उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला थाना मऊ
2.आरक्षी सोनपाल
(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गौरव तिवारी व उनकी टीम द्वारा अ0सं0 428ए/12 धारा 147,452,323,149,504 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त गफ्तार पुत्र जलील खाँ निवासी कर्वी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-
1.उ0नि0 श्री गौरव तिवारी कोतवाली कर्वी
2.आरक्षी राहुल पाण्डेय

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्रीमती अनुपमा तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज जू0डि0 जनपद चित्रकूट श्री मती

शैफाली यादव द्वारा आज दिनाँक 29.07.2025 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 845/2009 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त छोट्टन पुत्र श्रीकेशन केवट निवासी मकरी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 06 माह की सजा एवं 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्रीमती अनुपमा तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0) श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 29.07.2025 को थाना पहाडी में पंजीकृत मु0अ0स0 83/17 धारा 504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.लवलेश पुत्र शिवजतन 2. शिवजतन पुत्र भोन्डा 3.रामकेश पुत्र रामसजीवन निवासीगण नहरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500-1500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(9).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र प्रसाद भारती द्वारा आज दिनाँक 29.07.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 2557/2011 धारा 279,304A भादवि0 के आरोपी अभियुक्त उमाकान्त मिश्रा पुत्र लक्ष्मीप्रसाद मिश्रा निवासी कस्बा व थाना मझगवां जनपद सतना म0प्र0 को न्यायालय उठने तक व 4000 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(10).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता व उनकी टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 चोरो को चोरी की 11 बोरी दयाल मोनो जिंक के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 28.07.2025 को वादी श्री शैलैन्द्र कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोरो द्वारा कस्बा सीतापुर मे उनकी खाद एवं बीच भण्डार के गोदाम से शटर उठाकर 11 बोरी दयाल मोनो जिंक चोरी कर लिया गया है। इस सूचना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 474/25 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया। दिनाँक 29.07.2025 समय 12.10 बजे को उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता व उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए मुखविर खास की सूचना पर अभियुक्त 1. प्रेमचन्द्र उर्फ मगधू पुत्र रामराज निवासी खुटहा शिवरापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2.सुनील कुमार पुत्र विजय कुमार कोरी निवासी चितरागोकुलपुर चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 3.ओमप्रकाश उर्फ टक्कू पुत्र जगतकोरी निवासी चितरागोकुलपुर चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को छोटेलाल पुरवा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों ने पूंछताछ में बताया कि हम लोगों ने मिलकर कस्बा सीतापुर में खाद एवं बीच भण्डार के गोदाम से शटर उठाकर 11 बोरी दयाल मोनो जिंक चोरी किया था। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की बढ़तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता
2. आरक्षी अनुज यादव
3.आरक्षी आशीष सिंह
4.आरक्षी नागेश
5.आरक्षी राममूरत मिश्रा

(12).आज दिनांक 29.07.2025 जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जीएन एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा ने राजापुर पहुंचकर तुलसीदास जी के 528 वीं जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी चित्रकूट एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा तुलसी मंदिर पहुंच मार्ग, साफ सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण, तुलसी स्मारक सभा में कराए जा रहे निर्माण कार्यो आदि का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी राजापुर तथा नगर पंचायत अध्यक्ष राजापुर से कहा कि पूरे शहर की अच्छी तरह से साफ सफाई व्यवस्था कराई जाए मंदिर के आसपास भी साफ सफाई कराएं जो मंदिर को जाने वाला मार्ग है उसकी भी साफ सफाई कराई जाए, जो विद्युत तार लटक रहे हैं उसे ठीक कराए, जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि जो गलियों में स्पेस है बैनर लगाए उन्होंने यह भी कहा कि रोड़ों की साफ सफाई लगातार होती रहे रोड़ों पर जो गाये घूम रही है उसे अंदर कराए।उन्होंने यह भी कहा कि हैंड पंप की चबूतरे जो टूट गया है चबूतरा बनाएं शौचालय की टूटी हुई दरवाजे को भी सही कराए जिससे कि जो श्रद्धालु साधु संत महात्मा आ रहे हैं उन्हें कोई असुविधा न होने पाए।
निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी राजापुर श्री आर आर रमन, अध्यक्ष नगर पंचायत राजापुर श्री संजीव कुमार मिश्रा,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह, थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी,पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे।

(13).आज दिनाँक 29.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह की उपस्थिति में थाना राजापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, महिला हेल्पडेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना व हवालात का निरीक्षण कर थानाध्यक्ष राजापुर को रजिस्टरों को अध्यावधिक करने,जनसुनवाई में त्वरित कार्यवाही,विवेचना,वारण्टी/वांछित आदि की गिरफ्तारी एवं साफ सफाई,बिजली,पानी, शौचालय आदि को ठीक कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

इस दौरान थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।